भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4063

उत्तर देने की तारीख : 19.12.2024

सीजीटीएमएसई के अंतर्गत निधियां

4063. श्री पी. पी. चौधरी :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीजीटीएमएसई के माध्यम से अतिरिक्त पांच लाख करोड़ रुपए की ऋण गारंटी वितरित करने के लिए स्थापित विशिष्ट तंत्र क्या हैं तथा राज्यवार और क्षेत्रवार इसके वितरण लक्ष्य क्या हैं;

(ख) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान इन ऋण गारंटी से लाभान्वित होने वाले विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों से सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सीजीटीएमएसई के तहत आवेदन और अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रसंस्करण समय में कितनी कमी आई है; और

(घ) क्या इन ऋण गारंटी के प्रभावी उपयोग पर नजर रखने के लिए कोई निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उद्यम विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) को एमएसई के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की सुविधा के लिए अपेक्षित निधि के निवेश के साथ संशोधित किया जाएगा। तदनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के कोष के अलावा 9,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था ताकि बाद के 4 वित्तीय वर्षों में अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए की गारंटी कवरेज की सुविधा सुनिश्चित की जा सके। यह लक्ष्य देश भर में ढाई वर्षों (वित्त वर्ष 2022-23 - वित्त वर्ष 2024-25) में ही प्राप्त कर लिया गया है।

(ख) : चालू वित्त वर्ष के दौरान, क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) के तहत, एमएसई को 1,50,425 करोड़ रुपए की राशि की कुल 11,29,657 गारंटियां दी गई हैं।

(ग) : सीजीएस के तहत गारंटी आवेदन अनुमोदन की प्रक्रिया स्वचालित है। उधार प्राप्तकर्ता ऋण के लिए सीजीटीएमएसई की सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) से संपर्क करता है; एमएलआई अपने मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण का अनुमोदन करता है और सीजीटीएमएसई पोर्टल में गारंटी के लिए आवेदन करता है। इसके बाद, गारंटी को बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के सिस्टम द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

(घ) : वर्ष 2021 में एक्यूइट रेटिंग और रिसर्च और एथेना इन्फोनोमिक्स द्वारा किए गए सीजीएस का प्रभाव विश्लेषण से पता चलता है कि सीजीएस ने वर्षों से महिला उद्यमियों की बढ़ती भागीदारी के माध्यम से सामाजिक समावेशन और सशक्तिकरण की सुविधा प्रदान की है। इस विश्लेषण में शामिल किए गए जिलों की संख्या, जो वर्ष 2013 और वर्ष 2021 के बीच 370 से बढ़कर 714 हो गई है, के संबंध में सीजीएस की पहुंच और इसका प्रभाव दोगुना हो गया है। बिक्री निष्पादन के संदर्भ में, लाभार्थी इकाइयों ने न्यूनतम से 7.3% की वृद्धि दिखाई है।

*****